<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>28.01.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स सुपरगोल्ड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 27.01.2025 को ओमेक्स एग्जीक्यूटिव होम्स, ओमेक्स सिटी, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित मेसर्स बंसल पोल्स प्राइवेट लिमिटेड और कैलाश गुप्ता के नौ आवासीय फ्लैटों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत लगभग 3.14 करोड़ रुपये है।

ईडी ने सीबीआई, नई दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा भादस, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स सुपरगोल्ड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके पूर्व निदेशकों-प्रमोद गुप्ता, कैलाश गुप्ता और एपी सक्सेना और पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के अज्ञात सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने पूर्ववर्ती ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के दस्तावेजों से ऋण के माध्यम से प्राप्त धन को अवैध रूप से निकाला और डायवर्ट किया और 13.40 करोड़ रुपये (लगभग) का गलत नुकसान पहुंचाया। इसमें से बैंक ने गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेचकर 5.19 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि वसूल की थी। ईडी की जांच में आगे पता चला कि ऋण जमीन को गिरवी रखकर प्राप्त किया गया था, जिसका मूल्यांकन झज्जर के जिला नगर योजनाकार द्वारा जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जालसाजी के माध्यम से धोखाधड़ी से बढ़ाया गया था। ईडी की जांच में अब तक पता चला है कि ऋण का एक हिस्सा, जिसे मूल रूप से मेसर्स सुपरगोल्ड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड के व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने के उद्देश्य से मंजूर किया गया था, को कंपनी के पूर्व निदेशकों प्रमोद गुप्ता और कैलाश गुप्ता द्वारा डायवर्ट किया गया था।

आगे की जांच जारी है।